**वित्तीय स्वीकृति**

**संख्या-25/604/52-3-14-बजट(05)/2014**

प्रेषक,

देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 28 अप्रैल, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अरबी फारसी मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के □□□□/संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-□□-1-795/□□-2014-231/2014 दिनांक 14.3.2014 के प्रस्तर-2(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अरबी फारसी बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के आयोजन हेतु मानक □□ □0-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तावित धनराशि रू0 3,00,00,000/- के सापेक्ष पारित चार माह खानुदान : 0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण तात्कालीक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय□ □□ वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण दिनांक 31.7.2014 तक शासन को उपलब्ध कराये जायेंगें तथा वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया □□□□□

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू शैक्षिक सत्र की परीक्षाओं के □□□□□/आयोजन पर ही किया जायेगा तथा अस्थायी रूप से किसी भी अन्य मदों पर व्यय वर्तन मान्य नहीं होगा। व्यय का मदवार विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया □□□□□

5- उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा -समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

6- □□□□□ □□ □□□□ (□□□टमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने क अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक □□, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□□

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 के मूल आय व्ययक एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

3- □□□ □□□ □□□□न्य निर्वाचन, 2014 के लिए दिनांक 5.3.2014 से आदर्श चुनाव आचार सहिंता लागू है। अतः धनराशि के व्यय हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार सहिंता में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □ □-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-09-अरबी फारसी बोर्ड-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये □□□□ □□□□□□□□ □□□□

5- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

**संख्या-604(1)/52-3-14 तददिनांक।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, □□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद,704, □□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-0(02 प्रतियों में)/□□□□□ □□□□-3 □□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(□□0 □□0 द्विवेदी)
□□ □□□

http://shesanadesh.up.nic.in